भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

16 अक्तुबर 2013

लुटेरी न्याय व्यवस्था में पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा!

लक्ष्मणपुर–बाथे नरसंहार के दोषियों को बचाने वाले पटना उच्च न्यायालय (बिहार) के फैसले की भर्त्सना कीजिए!

हिन्दू चरमपंथी संगठन–विश्व हिन्दू परिषद के कुख्यात सरगना लक्ष्मणानंद सरस्वती के कत्ल के प्रकरण में बेगूनाहों को सजा सुनाने वाले कंधमाल जिला सत्र न्यायालय के फैसले की भर्त्सना कीजिए!

2013 अक्तुबर को बिहार के पटना उच्च न्यायालय और ओड़िशा राज्य के कंधमाल जिला (फूलबानी जिला मुख्यालय) सत्र न्यायालय के न्यायधिशों द्वारा दिये गये फैसले निंदनीय हैं। बिहार राज्य के पूराने अरवल (वर्तमान के जहानाबाद) जिला के लक्ष्मणपुर–बाथे गाँव में 1 दिसंबर 1997 को उच्चजातिय सामंती ताकतों की निजी गुंडावाहिनी रणवीर सेना ने 58 दलितों की हत्या की थी। मृतको में 27 महिला और 16 बच्चे भी थे।

यह प्रकरण लगभग 13 सालों से जिला न्यायालय में चल रहा था। जिला न्यायलय ने अप्रैल 2010 में फैसला सुनाते हुए 26 लोगों को दोषी करार दिया था। दोषियों में से 16 लोगों को मृत्युदंड तथा 10 जन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी थी। लेकिन उसके बाद लगभग साडे तीन साल यह प्रकरण राज्य के उच्च न्यायालय में चल रहा था। अब 3 अक्तुबर 2013 को उच्च न्यायालय ने अपना उच्चतम फैसला सुनाते हुए, गवाहों के अभाव में दोषीयों को निर्दोष करार दे दिया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले 16 सालों से पीड़ित परिवारों में जो बचे हुए लोग हैं उन लोंगों को गवाही ना देने के लिए राज्य यंत्र ने (अधिकारीगण, नेतागण) हर प्रकार से दबा दिया है। रणवीर सेना ने 58 दलितों की नृशंस हत्या की थी। लेकिन आज उच्च न्यायालय ने तो बेशर्मी के साथ न्याय का ही कत्ल कर दिया है। 58 दलितों की नृशंस हत्या पर उस समय भारत के राष्ट्रपति आर.के. नारायण ने अपने वक्तव्य में कहा था कि 'यह देश के लिए बडी शर्मनाक घटना है'। हत्यारों को निर्दोष करार देने का मतलब है कि इस नरसंहार को परोक्ष रूप से समर्थन दिया जा रहा है।

इस लुटेरी व्यवस्था के न्यायालयों से पीड़ितों को न्याय मिलने की कल्पना करना बेमानी होगी। इस फासीवादी फैसले की हमारी पार्टी, भाकपा (माओवादी) तिव्र शब्दों में भर्त्सना करती है।

उपरोक्त फैसले की तर्ज पर ही एक और एक फैसला, ओड़िशा राज्य के कंधमाल जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनाया गया है। 23 अगस्त 2008 को हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनमुक्ती छापामार सेना के गुरिल्लाओं ने जनविरोधी लक्ष्मणानंद सरस्वती का सफाया कर दिया था। संघ गिरोह के कट्टर हिन्दुत्ववादी और फासीवादी संगठन विश्व हिन्दु परिषद के सरगना लक्ष्मणानंद सरस्वती ने कंधमाल जिला के गरिब, आदिवासी जनता पर असीम अत्याचार किये है। कई दशकों पहले यहाँ के गोर–गरिब आदिवासी जनता ईसाई धर्म को अपनाई थी। दुबारा उन लोगों को हिन्दु धर्म में लाने के लिए 'घरवापसी' नामक अभियान के नाम पर लक्ष्मणानंद ने अपने 'तुमीडी बंदा' आश्रम से गुंडों को उकसाकर धर्मांतरण को चलाया था। ऐसे नीच मुनष्य का जनता के फैसले के मुताबिक पीएलजीए के गुरिल्लाओं ने सफाया कर दिया था। उसके बाद संघ गिरोह ने मनमानी करते हुए समूचे ओड़िशा में अपनी विध्वंसक कारवाईयाँ चलाई थीं। जिसके तहत ईसाई धर्म को मानने वाले आदिवासीयों की लूट, हत्या और घरों जलाने जैसे अत्याचार करना आम बात हो गयी थी। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस जनसंहार में सिर्फ 38 लोगों की ही हत्या के मामले सामने आये हैं। एक तरफ आदिवासियों के इतने भारी कत्लेआम को अंजाम देने वालों को बचाया जा रहा है दूसरी तरफ उसके जिम्मेदार जन विरोधी नीच मनुष्य के सफाया प्रकरण में बेगुनाह लोगों को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यह फैसला निंदनीय है और हमारी पार्टी इस का खण्डन करती है।

इस लुटेरी व्यवस्था में पटना उच्च न्यायालय का फैसला हो या फूलबानी जिला सत्र न्यायालय का फैसला यह कोई अकल्पनीय बात नहीं है, इस वर्गीय व्यवस्था में हम न्याय को अलग करके नही देख सकते।

देश के कई भागों में फैलते हुए आगे बढ़ रहे क्रान्तिकारी आन्दोलनों को देखते हुए लुटेरे शासक वर्गों में हड़कंप मचा हुआ है। इसलिए उसे कुचलने के लिए पिछले 4 सालों से चलाये जा रहे 'ग्रीन हंट' अभियान ने अब समुचे देश में तीव्र रूप धारण कर लिया है। लुटेरी न्याय व्यवस्था के फैसलों को भी इसी के तहत समझना चाहिए।

देश के क्रान्किारी आन्दोलनों के इलाकों की जनता में भय एवं दहशत फैलाने के लिए लुटेरे शासक वर्गां ने विगत में सेंद्रा, सलवा जुडूम जैसे आतंकी अभियानों को चलाया था। उन्होंने अपने पालतु गुंडा गिरोहों के साथ खाकी दलों की मिलीभगत से कई नरसंहारों को अंजाम दिया था। लेकिन, हमारी पार्टी और पीएलजीए के नेतृत्व में लडाकु जनता बड़ी हिम्मत के साथ उन फासीवादी अभियानों को हरायी है। इससे घबरा उठे शासक वर्गों ने साम्राज्यवादियों को मुख्य रूप से

अमरीकी साम्रज्यवाद के मिलीभगत से चलाई जा रहे चौतरफा हमलों को 'ग्रीन हंट' के रूप में और तेज कर दिया है। जंगल–खदान साहित समुचे प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लक्ष्य से यह हमला जारी है। यह बात जगजाहीर है कि ओडिशा राज्य अमुल्य प्राकृतिक संसाधनों का एक बड़ा केंद्र है। फिलहाल वहाँ पर पोस्को एवं वेदांता द्वारा चलाये जा रहे विध्वंस से वहाँ की आदिवासी जनजातियों की जिन्दगी तहस–नहस हो रही है। दूसरी तरफ ऐसे फैसलों से लड़ाकू जनता में दहशत फैलाकर उनकी प्रतिरोध शक्ति को निष्क्रीय करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन हंट सिर्फ आदिवासियों या जंगलों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह शहरो में रहने वाले देशभक्त, जनवाद प्रेमी, बुद्धिजीवी, कवि, कलाकार, लेखक, छात्र, पत्रकार एवं वकील आदि भी इसका शिकार हो रहे हैं। बुर्जवा न्यायालय अपनी बाहें फैलाकर फासीवादी फैसले सुना रहे हैं। क्रांतिकारी आन्दोलन के समर्थक होने के आरोप लगाकर पुलिस उनको अपना शिकार बना रही हैं। क्रान्तिकारियों के सम्पत्ती को जप्त करना भी आन्ध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के बिरपुर गाँव से ही शुरू हो गया है। कलकता उच्च न्यायालय के फैसले के तहत बल्मोरी नारायण राव की जमीन को जप्त किया गया और हमारे पार्टी के माननीय महासचिव कामरेड मुप्पल्ला लक्ष्मण राव की जमीन है ही नहीं इसलिए एनआइए के अफसरों को खाली हाथ लौट जाना पड़ा। इस प्रकार क्रांतिकारियों को कठीन कारावास, आजीवन कारावास व मृत्युदंड की सजा भी दी जा रही है। वर्गीय न्याय इसके अलावा और कैसा हो सकता है। स्पार्टाकस से लेकर आज तक असंख्य जनयोद्धा समाज को बदलने के लिए जेल की यातनाएं भोगते हुए और फांसी की सजाओं को गले लगाते हुए आ रहे हैं। वर्तमान में हमारी पार्टी के कई कार्यकर्ता, नेतागण (महिलाएं एवं पुरुष) देश की विभिन्न जेलों में कठीन कारावास की सजाएं भोग रहे हैं। दूसरी तरफ लूटेरे, हत्यारे, भ्रष्टाचारी और माफिया गिरोहों के साथ संपर्क रखने वाले शोषक लोग निर्दोषों की तरह जिन्दगी जीते हुए राजसत्ता तक भी चला रहे हैं। यह कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस देश की विधानसभा और लोकसभा में एक तिहाई लोग अपराधी बैठे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधिकारी जिया–उल–हक की हत्या के आरोपों से घिरे रघुराज प्रतापसिंग उर्फ राजा भैया को सात सप्ताह के अंदर ही सीबीआई ने क्लिन चीट दे दी है। और अब उसको दुबारा मंत्रिपद से भी नवाजा दिया गया है। यह एक जिंदा उदाहरण है कि इस देश में राजा भैया या पप्पु यादव जैसों की कोई कमी नहीं है।

प्रिय क्रान्तिकारी जनता एवं जनवाद प्रेमियो

पटना उच्च न्यायालय एवं कंधमाल जिला सत्र न्यायालय के फैसलों के खिलाफ में एकजुट होकर लड़ने के लिए हमारी पार्टी आपसे अनुरोध कर रही है। ये बर्बर फैसले न्यायसंगत नहीं हैं। ये फैसले न्यायप्रणाली में बढ़ रहे फासीवादी रूझानों का एक स्पष्ट लक्षण हैं। क्रांतिकारी जनता के पक्ष में–आदिवासी, दलित, गरीब किसान, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिला एवं समूची उत्पीड़ित जनता के हित में उठ खड़े होने के लिए हमारी पार्टी आप सभी लोगों से अनुरोध कर रही है। इस देश की लगभग एक चौथाई जनता दलित एवं आदिवासी है, यह सच है कि उनमें से ज्यादातर जनता अलग–अलग सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है। उन लोगों के लिए इस देश में अस्पृश्यता–छुआछूत एक अभिशाप बन हुआ है। उन्हें अभी भी सामाजिक शान्ति एवं इज्जत नहीं मिली है। उन लोगों के पूर्ण समर्थन में क्रान्तिकारी जन आन्दोलन काम कर रहे है। लुटेरे शासक वर्गों के तथाकथित विकास एवं जन कल्याणकारी ढोंगी बयानों के पीछे छिपे हुए काले अध्यायों की भरमार है। मुख्य रूप से बिहार व झारखण्ड में दलितों पर नृशंस हत्याकांडों, नरसंहारों, क्रूरतापूर्ण हमलों, अत्याचारों एवं विध्वंसकारी कार्रवाईयों को अंजाम देने वाली उच्चजातिय निजी सेनाओं को नेस्तनाबूद करके क्रांन्तिकारी आन्दोलन ने उनको राहत दी है। गरीबी और अंधविश्वासों के चलते आदिवासी जनता ईसाई धर्म को अपनाई तो हिन्दू धर्म के कट्टर धर्मोन्मादी ताकतों द्वारा 'घर वापसी' नाम से घृणित और बदनाम हमले चलाये गए तब भी क्रान्तिकारी आन्दोलनो ने डटकर प्रतिरोध किया है। देश की धार्मिक अल्पसंख्यक जनता मे भी आत्मविश्वास भरने के लिए क्रान्तिकारी तीव्र प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को सामाजिक शान्ति, न्याय, इज्जत की जिन्दगी, सच्ची धर्मनिरपेक्षता, क्रान्तिकारी आन्दालनों द्वारा ही मिल सकती है। विगत चार दशकों से जारी क्रन्तिकारी आन्दोलनों से यह सच साबित हो चुका है। क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल होकर, जी–जान से कोशिश करके आगे बढाने से ही दलित व आदिवासी उत्पीड़ित जनता को सही अर्थ में सामाजिक शान्ति एवं न्याय मिलेगा। साथ ही, हमारी पार्टी यह भी स्पष्ट कर रही है कि इस देश के लूटेरे न्यायालयों के विकल्प में क्रान्तिकारी जन आन्दोलनों के इलाकों में जनअदालतों का निर्माण हो रहा है। जन विरोधी अपराधी – रणवीर सेना के सरगना ब्रम्हेश्वरसिंग ठाकूर, विश्व हिन्दू परिषद के मुखिया लक्ष्मणानंद सरस्वती और सलवा जुडूम के नेता एवं कथित बस्तर टाईगर महेन्द्र कर्मा जैसे लोगों को जनअदालत में मौत की सजा सुनाई जायेगी।

Abhay

(अभय)
प्रवक्ता
केंद्रीय कमेटी
भाकपा (माओवादी)